(विवरणियों के लिए प्रारूप)

(पैरा सं. 6 देखें)

पूँजीगत निधियों, जोखिम आस्तियों / ऋण तथा जोखिम आस्ति अनुपात का विवरण

1. भाग क - पूँजीगत निधि तथा जोखिम आस्ति अनुपात

(₹ लाख में)

(र लाख	ਗ)			
ा. पूंजीगत निधियां				
अ. टियर । पूंजी तत्व				
(ए) चुकता पूंजी				
घटाना : अमूर्त आस्तियां एवं हानियां निवल चुकता पूंजी				
(बी) आरक्षित निधियां तथा अधिशेष				
1. सांविधिक आरक्षित निधि				
2. पूंजीगत आरक्षित निधि (कृपया नीचे की टिप्पणी देखें)				
3. अन्य आरक्षित निधियां				
4. लाभ और हानि खाते* में अधिशेष कुल आरक्षित निधियां तथा अधिशेष				
कुल पूंजीगत निधियां (क+ख)				
टिप्पणी: आस्तियों की बिक्री पर अधिशेष दर्शानेवाली तथा एक अलग खाते में	धारित पूंजी	गत आरक्षित		
निधियां शामिल की जाएंगी।				
ऋण आस्तियों के लिए की गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां, सामान्य/ अस्थायी प्रावधान तथा विशेष				
प्रावधान तथा अन्य आस्ति हानियां या किसी आस्ति के मूल्य में गिरावट की गणना टियर । पूंजीगत				
निधियों के रूप में की जाएगी				
* लाभ तथा हानि खाते में अधिशेष (आबंटित नही तथा ए जी एम द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना हो)				
के मामले में निम्नलिखित अभिधारणा की जाए :				
(ए) चालू वर्ष के अधिशेष की गणना सैध्दांतिक आधार पर निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत सीमा तक की				
जाए जिसका आंबाटन विभिन्न आरक्षित निधियों / निधियों में किया जाना हो तथा व्यवसाय में उसे				
लगाया जाना हों ।				
(बी) जहां निदेशक मंडल ने अधिशेष के वितरण का निर्णय न लिया हो वहां उसकी गणना सैध्दांतिक				
आधार पर पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर की जाए ।				
आ. टियर ॥ पूंजीगत निधियां				
(i) अप्रकट आरक्षित निधियां				
(॥) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां				
(IIi) सामान्य प्रावधान तथा हानि प्रावधान #				
(iv) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियां				
(v) संकट ऋण पूंजीगत लिखत				

(vi) अधीनस्थ ऋण	
कुल	
। (अ + आ) का जोड़	
# मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधान शामिल (प्रतिबंधों के अधीन)	
u. जोखिम आस्तियां	
(ए) निधिकृत जोखिम आस्तियों अर्थात तुलनपत्र की मदों का समायोजित	
मूल्य (भाग 'ख' 'कें' साथ तुलना करने के लिए)	
(बी) गैर - निधिकृत तथा तुलन पत्रेतर मदों का समायोजित मूल्य (भाग 'ग'	
के साथ तुलना करने के लिए)	
(सी) कुल जोखिम -भारित आस्तियां (ए+बी)	
III. जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजीगत निधियों की प्रतिशतता।	
/ II X 100	

2. भाग ख - भारित आस्तियां अर्थात तुलन पत्र की मदें

(₹ लाख में)

	बही	जोखिम	जोखिम
	मूल्य	भार	समायोजित
			मूल्य
1	2	3	4
I. नकद एवं बैंक शेष			
(ए) नकद (विदेशी मुद्रा नोट सहित)			
(बी) भारत के बैंकों में शेष			
(i) आर बी आई के पास शेष			
(॥)बैंकों के पास शेष			
1. चालू खाता (भारत में और भारत के बाहर)			
2. अन्य खाते (भारत में और भारत के बाहर)			
3. अन्य प्राथमिक सहकारी बैंकों के चालू खाते में शेष			
॥. मांग एवं अल्प सूचना पर मुदा			
॥. निवेश			
(क) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां *			
(ख) अन्य (निवल प्रावधानीकृत मूल्यांस)			
IV. अग्रिम **			
ऋण तथा अग्रिम खरीदी एवं भुनाई गई हुंडिया तथा अन्य ऋण			
सुविधाएं			
(ए) भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे		_	
(बी) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे			

(सी) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर दावे					
(डी) राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर दावे					
(इ) अन्य					
टिप्पणी : 1. समंजन केवल जमाराशि में नकदी मर्जित द्वारा संपार्श्विकृत अग्रिमों तथा ऐसी आस्तियों					
के संबंध में किया जा सकता है जहां अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के मूल्यांस के लिए प्रावधान किए गए					
हैं <i>।</i>					
2. गौण, अमूर्त आस्तियों में ईक्विटी तथा टियर । पूंजी से घटाई गई निधियों को शून्य भार दिया					
2. गाण, अमूत आस्तिया म इाक्वटा तथा १८यर । पूजा स घटाइ ग	१५ ।नाधया	का शून्य भार	र ।दया		
2. गाण, अमूत आस्तिया म इाक्वटा तथा दियर । पूजा स घटाइ ग जाएगा ।	<i>१५ ।नाघया</i> ५	का सून्य मार	र ।दया		
	<i>१५ ।नाघया</i> ०	का सून्य मार	(।दया		
जाएगा	<i>१५ ।नाघया</i> ०	का शून्य मार	र ।दया		
<i>जाएगा ।</i> v. परिसर (मूल्यॉस कुल प्रावधानीकृत)	<i>१५ ।नाघया</i> ०	का शून्य मार	र ।दया		
जाएगा । v. परिसर (मूल्यांस कुल प्रावधानीकृत) vi. फर्नीचर एवं फिक्सचर (मूल्यह्नास)	<i>१५ ।नाघया</i> ५	का शून्य मार	र ।दया		
जाएगा । v. परिसर (मूल्यांस कुल प्रावधानीकृत) vi. फर्नीचर एवं फिक्सचर (मूल्यह्नास) vii. अन्य आस्तियां	<i>१५ ।नाध्या</i>	का शून्य मार	(

- * सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश में मूल्यांस के लिए किए गए प्रावधान, यदि कोई, को फुटनोट के जरिए प्रदर्शित किया जाए।
- ** अशोध्य तथा संदिग्ध तथा मानक आस्तियों के लिए सामान्य या विशेष धारित प्रावधान, को फुटनोट के जरिए प्रदर्शित किया जाए।

3. भाग ग - ग़ैर-निधिकृत ऋण / तुलन पत्रेतर मदें प्रत्येक तुलन पत्र मद को नीचे दर्शाए गए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए ।

(लाख रुपये में)

मद का प्रकार	बही मूल्य	संपरिवर्तन	समतुल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य
		कारक	मूल्य		

टिप्पणी: संमजन केवल जमाराशि में नकदी मार्जिन द्वारा संपाश्दिवकृत अग्रिमों तथा ऐसी आस्तियों के संबंध में किया जा सकता है जहां अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के मूल्यह्नास के लिए प्रावधान किए गए हैं।
